तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिषियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्त की तामील में जारी हुए

03.11.2025

पत्रावली आज वास्ते आदेश पेश हुई। पूर्व में प्रकरण में दिनांक 15.10.2025 को बहस सुनी गई थी।

1. अपीलांट्स वकील ने एक नामान्तरकरण अपील इस आशय की पेश की है कि नामान्तरकरण संख्या 1286 दिनांक 05.12.2017 ग्राम पंचायत चौथ का बरवाडा जेरे बहस खिलाफ कानून व खिलाफ रूयेदाद मिसल होने से काबिले निरस्त है।

2. नामान्तरकरण तस्दीक करने से पूर्व ग्राम पंचायत चौथ का बरवाड़ा ने मृतक सलीम के वारिसान की सही तरीके से जांच नहीं की और ना ही नामान्तरकरण भरे जाने के प्रोसीजर को अपनाया गया, जिस कारण नामान्तरकरण निरस्त योग्य है।

3. सरपंच ग्राम पंचायत चौथ का बरवाडा ने नामान्तरकरण जेरे बहस अपने स्तर से मनमाने तरीके से तस्दीक कर दिया है, जबकि नामान्तरकरण जेरे बहस को सही जांच होकर उसके वास्तविक वारिसों की पहचान करके नामान्तरकरण खोला जाना चाहिये था, जो सरपंच ग्राम पंचायत चौथ का बरवाडा ने नहीं किया और अपने अधिकारो से बाहर जाकर नामान्तरकरण तस्दीक कर दिया, जो निरस्त योग्य है।

4. रेस्पो0 संख्या 1 का विवाह अपीलांट के पिता सलीम के साथ हुआ, जिससे तीनों पुत्रियां अपीलांट पैदा हुई और अपीलांट्स के नाबालिग अवस्था में अपीलांट्स के पिता स्व0 सलीम की मृत्यु दिनांक 24.06.1992 को हो गई और अपीलांट्स को बहुत छोटी अवस्था में उनके दादा दादी ने पालन पोषण किया था।

5. रेस्पो0 अपने पति स्व0 सलीम की मृत्यु के पश्चात् कभी भी अपीलांट्स के घर नहीं रूकी और ना ही अपीलांट्स के ऊपर रेस्पो0 संख्या 1 को तरस आया और अपीलांट्स को नाबालिग अवस्था में ही उनके दादा दादी के पास छोड आया और अपीलांट्स की परवरिश बिना माता पिता के दादा दादी ने की और शादी विवाह किये।

6. रेस्पो0 संख्या 1 को काफी समझाया कि वह अपीलांट्स की उनके पिता की अनुपस्थिति में परवरिश करे, लेकिन रेस्पो0 संख्या 1 नहीं मानी और रेस्पो0 संख्या 1 ने छोटे खां नामक व्यक्ति से पुनर्विवाह सलीम की मृत्यु के छः माह पश्चात् ही कर लिया अर्थात वह अब मृतक सलीम की पत्नि नहीं रही और पुनर्विवाह करके टोंक निवासी छोटे खां की पत्नि बन गई।

7. अपीलांट्स के पिता मृतक सलीम की कब्जे काश्त [illegible] आराजी खसरा नंबर 1165/5261 रकबा 0.08 है0 व ख[illegible] नंबर 2685 रकबा 2.62 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 2.70 है0 [illegible] ग्राम चौथ का बरवाडा हिस्सा 1/9 है। [illegible] सलीम की [illegible] के पश्चात् उसके सम्पूर्ण चल–अचल सम्पत्ति की मालि[illegible] उसकी तीनों पत्नियां हैं और उक्त आराजीयात [illegible] नामान्तरकरण तीनों पुत्रियों के नाम दर्ज होना चाहिये था और उक्त आराजीयात मृतक सलीम की सम्पत्ति की मालिक उनकी तीनों पुत्रियां हैं। उनके अलावा सलीम का कोई वारिस नहीं है। इस कारण रेस्पो0 संख्या 1 के पक्ष में जो नामान्तरकरण खोला गया है वह रेस्पो0 संख्या 1 की हद तक निरस्त किये जाने

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सत्यमेव जयते चौथ का बरवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी चौथ का बरवाड़ा

Signature Not Verified
Digitally signed by Jogendra Singh
Date: 2025.11.07 14:23:09 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्त की तामील में जारी हुए

किये जाने योग्य है।

8. रेस्पो0 संख्या 1 ने पुनर्विवाह कर लिया है, और अब वह मृतक सलीम की बेवा न होकर छोटे खां निवासी टोंक की पत्नि है। और मुस्लिम विधि में किसी महिला द्वारा पुनर्विवाह करने के पश्चात् उसके पूर्व मृतक पति की सम्पत्ति में कोई हिस्सा प्राप्त नहीं होता। परन्तु ग्राम पंचायत चौथ का बरवाड़ा ने मुस्लिम विधि व कानून के विपरीत जाकर के यह नामान्तरकरण खोला है, जो निरस्त किये जाने योग्य है।

9. उक्त आराजीयात को रेस्पो0 संख्या 1 बेचने पर आमादा है, जिसकी चर्चा जब गांव में हुई तो अपीलांट्स को इसकी जानकारी हुई और जांच पडतालकी तो अपीलांट्स को पता लगा की रेस्पो0 संख्या 1 ने गुपचुप तरीके से अपीलांट्स की भूमि में अपना नामान्तरकरण खुलवा लिया है, जिसकी जानकारी करते ही अपीलांट्स ने अपील अन्दर मियाद प्रस्तुत की है।

10. अतः अपील अपीलांट्स प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील अपीलांट्स स्वीकार फरमाई जाकर नामान्तरकरण संख्या 1286 दिनांक 05.12.2017 ग्राम पंचायत चौथ का बरवाडा को निरस्त फरमाया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर नोटिस बनाम रेस्पो0 जारी किये जाकर उनकी न्यायालय में तलब किया गया।

बहस बकुलाय सुनी गई। उभयपक्ष के अधिवक्ताओं ने दौराने बहस अपील में अंकित तथ्यों का दोहरान किया। संख्या 1 नहीं मानी और रेस्पो0 संख्या 1 ने छोटे खां नामक व्यक्ति से पुनर्विवाह सलीम की मृत्यु के छः माह पश्चात् ही कर लिया अर्थात वह अब मृतक सलीम की पत्नि नहीं रही और पुनर्विवाह करके टोंक निवासी छोटे खां की पत्नि बन गई, परन्तु रेस्पो0 के विद्वान अधिवक्ता यह साबित करने में असमर्थ रहे हैं कि रेस्पो0 संख्या 1 कम्मो ने पुनर्विवाह विधिक रूप से किया है अथवा नहीं।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर मैं उक्त विवादित नामान्तरकरण संख्या 1286 निर्णय दिनांक 05.12.2017 ग्राम पंचायत सारसोप, तहसील चौथ का बरवाडा, जिला सवाई माधोपुर को निरस्त किया जाना उचित समझता हूं।

अतः अपीलांट की अपील स्वीकार [illegible] विवादित नामान्तरकरण संख्या 1286 निर्णय दिनांक 05.12[illegible] निरस्त किया जाकर तहसीलदार, चौथ का [illegible] प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे मृतक [illegible] जांच कर नियमानुसार मुस्लिम विधि के अनुसार एवं उभयपक्षों [illegible] सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाकर प्रदान कर पुनः निर्णय [illegible]त किया जावे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नबर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 03.11.2025 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
सत्यमेव जयते
चौथ का बरवाड़ा

Signature Not Verified
Digitally signed by Jogendra Singh
Date: 2025.11.07 14:23:09 IST
Reason: SelfAttested